

29-07-17

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी उदयसिंह उपस्थित। उसकी ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय ने मेमो पेश किया।

फरियादी ने उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा की संभावना व्यक्त की। अतः उभयपक्षों ने राजीनामा की संभावना हेतु मीडिएशन में प्रकरण रैफर किए जाने का निवेदन किया है।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री मौहम्मद अजहर एएसजे गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष आज दिनांक 29.07.17 को 12 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो दिनांक 22.08.17 तक सूचित करें।

प्रकरण आगामी दिनांक 22.08.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

सही/-

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

प्रकरण स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत में प्रस्तुत।

उभयपक्ष पूर्ववत्।

प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

फरियादी उदयसिंह की ओर से आवेदन पत्र मय डॉकेट लोक अदालत राजीनामा बावत् मय पहचान पत्र प्रस्तुत किया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा ने की।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी की ओर से अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं। राजीनामा के समर्थन में फरियादी का कथन अंकित किया।

अभियुक्त पर भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 506 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के

उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323, 506 बी भा0द0वि0 के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। प्रकरण में आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण में जब्तशुदा लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

सही /—  
(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)